

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण विनियम/निर्देश :-

1. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/ओपन)/डी0एल0एड0 की परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अन्दर-अन्दर केवल ऑनलाईन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन उपरान्त परीक्षार्थियों के अन्तिम परिणाम की सूचना बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर अपलोड की जाती है।
3. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/ओपन)/डी0एल0एड0 की परीक्षा में किसी विषय में 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी अब उस विषय की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
4. पुनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/-रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका/विषय है। बी0पी0एल0 परीक्षार्थी के लिए पुनर्मूल्यांकन शुल्क 800/-रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका/विषय है तथा ऑनलाईन आवेदन के साथ बी0पी0एल0 कार्ड की एक प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी द्वारा एक या एक से अधिक विषयों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। पुनर्मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
5. बोर्ड बैठक दिनांक 31-10-2019 के अनुच्छेद संख्या-6 में लिए गये निर्णय अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन उपरान्त यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में 15 प्रतिशत से अधिक अंक बढ़ते हैं तो नियमानुसार 1000/- रुपये में से 600/- रुपये व 800/- रुपये में से 480/- रुपये सम्बन्धित परीक्षार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
6. पुनर्मूल्यांकन उपरान्त यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में एक अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसके उस विषय में कुल अंकों में जोड़ा जायेगा। इसी तरह यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी विषय में अंक कम होंगे तो पहले अर्जित किए गए अंक मान्य होंगे।
7. यदि किसी विषय की उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन उपरान्त 15 प्रतिशत से या उससे अधिक अंक बढ़ते हैं तो उस उत्तरपुस्तिका को तीसरे परीक्षक के पास भेज कर पुनर्मूल्यांकन करवाया जाएगा और उस अवस्था में दूसरे एवं तीसरे परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों की औसत के आधार पर नियमानुसार अंक निर्धारित किए जाएंगे।
8. अधूरा फार्म/बिना शुल्क प्राप्त फार्म रद्द कर दिया जायेगा व परीक्षार्थी का इस सन्दर्भ में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
9. परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तरपुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जायेगी। यदि किसी कारण से उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है, तो परीक्षार्थी के प्राप्तांक सूची में दर्शाये गये अंक ही माने जायेंगे। इस अवस्था में बोर्ड कार्यालय पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा आवेदनकर्ता को शुल्क वापिस उससे सम्बन्धित बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
10. अंकित उत्तरपुस्तिका परीक्षार्थी/उसके माता-पिता/अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जायेगी।
11. उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा सम्बन्धी विषयों का ही करवाया जा सकता है तथा बोर्ड नियमानुसार ही पुनर्मूल्यांकन बारे कार्यवाही की जायेगी।
12. पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई केवल जिला भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी।

BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, BHIWANI

Important Regulation/Instructions for Re-Evaluation of Answer Books:-

1. Secondary/Senior Secondary (Academic/Open) D.El.Ed. Exam application for Re-Evaluation can be applied online along with prescribed fee, within a span of 20 days after the declaration of result. No application for Re-Evaluation will be entertained/considered, received through any other source.
 2. The information of final result after Re-Evaluation of the answer-books of candidates is uploaded on board's website www.bseh.org.in.
 3. The students of Secondary/Senior Secondary (Academic/Open) D.El.Ed., who attain above 90% marks in any subject can also apply now for Re-Evaluation of answer books.
 4. Fee for Re-Evaluation is Rs. 1000/- per answer-book/subject. BPL Card holder, fee for Re-Evaluation is Rs. 800/- per answer-book/subject for which a copy of BPL Card is mandatory to be attached along with online application. Only one form is to be applied by the candidate for one or more than one subject. Fee deposited is non-refundable.
 5. As per Clause-6 of Board Meeting dated 31-10-2019 after the Re-Evaluation of Answer books, if there is an increase of 15% marks or more in any subject, in such a case Rs. 600/- will be refunded out of Rs. 1000/- and 480/- out of Rs.800/- in concerned Bank Account.
 6. If there is an increase of even one mark in any subject after Re-Evaluation, it will be added to the total of that subject. Similarly, if marks are decreased/reduced during Re-Evaluation, the result will remain the same, as declared earlier.
 7. If there is an increase of 15% or more than 15% marks in any subject after Re-Evaluation, that answer book will be sent to the third examiner for further Re-Evaluation and in that case an average of the marks awarded by the second and third examiner will be given according to the set rules and regulations of the Board.
 8. Incomplete Application form, for received without prescribed fee will be cancelled.
 9. The facility of Re-Evaluation will be availed only in case of availability of answer-book. If the answer-book is not available for some reasons or the others then the marks obtained earlier by the candidate in his original marks-sheet will only be considered. In such a case, the Board is not bound for Re-Evaluation. Only the fee will be refunded in his Bank Account.
 10. Marked answer-book will not be shown to the candidate/his/her parents/guardian in any circumstances.
 11. Re-evaluation of Answer Books can be done only in the subject of written examination and action can be taken only in accordance with rules and regulations of the Board.
 12. Any type of legal proceedings regarding Re-Evaluation can be done through the court situated at Bhiwani District only.
-